

बिहार सरकार
कृषि विभाग
पत्र संख्या-3/ कृ० बजट-आवंटन-21/ 2016 28 (आवंटन) कृ०, पटना दिनांक- 15-07-2016

प्रेषक,

प्रभु राम
निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव
सेवा में,

मुख्य लेखा पदाधिकारी,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

विषय:- कृषि रोड मैप अंतर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के अंगीभूत महाविद्यालयों में कृषि, उद्यान, गव्य प्रौद्योगिकी एवं पशु चिकित्सा में स्नातक स्तर पर नामांकित छात्रों को स्टाईपेंड के भुगतान के लिए वर्ष 2016-17 में अनुसूचित जाति के लिए 48.90 लाख रु० (अड़तालीस लाख नब्बे हजार रु०) सहायक अनुदान के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप ₹48,90,000 (अड़तालीस लाख नब्बे हजार रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या:-2902 दिनांक-30.06.2016 द्वारा कृषि रोड मैप अंतर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के अंगीभूत महाविद्यालयों में कृषि, उद्यान, गव्य प्रौद्योगिकी एवं पशु चिकित्सा में स्नातक स्तर पर नामांकित छात्रों को स्टाईपेंड के भुगतान के लिए वर्ष 2016-17 में अनुसूचित जाति के लिए 48.90 लाख रु० (अड़तालीस लाख नब्बे हजार रु०) सहायक अनुदान के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। स्वीकृत राशि के अंतर्गत व्यय हेतु कुल ₹48,90,000 (अड़तालीस लाख नब्बे हजार रुपये) की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹48,90,000 (अड़तालीस लाख नब्बे हजार रुपये) की राशि का व्यय बजट शीर्ष 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-उपमुख्यशीर्ष-01-फसल कृषि कर्म-लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग संख्या-01-उपशीर्ष-0103-बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर, विपत्र कोड-P2415017890103-राज्य योजना स्कीम कोड-AGR-5042 के अंतर्गत वर्ष 2016-17 में विषयशीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में उपबंधित राशि ₹4,60,00,000 (चार करोड़ साठ लाख रुपये) मात्र से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक:-2561 वि० (2) दि०-17.04.98 एवं पत्रांक:-4572 दि०-03.06.2016 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के बाद टी०भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन

Deepti
प्रभु राम ५/७/१६
निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-

28(भावंटन)

/कृ०, पटना, दिनांक- १५-०३- 2016

प्रतिलिपि:- महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Deepti
निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-

28(भावंटन)

/कृ०, पटना, दिनांक- १५-०३- 2016

प्रतिलिपि:- कृषि निदेशक/निदेशक उद्यान/निदेशक, पी०पी०एम० (कृषि विभाग)/निदेशक, भूमि संरक्षण/मिशन निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी मिशन बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ/जिला पदाधिकारी, किशनगंज/कुलपति बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/वित्त विभाग, (बजट -शाखा) बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (योजना) कृषि विभाग, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, (प्रशाखा-04, समन्वय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप निदेशक (शाष्य), सूचना बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

Auf Wiedersehen
निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।